

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/165682/FGH/FATEHGARH/608/CFO

दिनांक : 16-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VHL INTERNATIONAL SCHOOL** पता **21,KUNWARPUR KHAS PARGANA KAMPIL,FARRUKHABAD** तहसील - **KAIMGANJ** प्लॉट एरिया **4370 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2308.44** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
VHLIS	2	0	7.48 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VHL INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **17-07-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ROHIT SHARMA meharalikhan89@gmail.com 7317826207** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-07-2025** से **16-07-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VHL INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VHL INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1- सेटबैक के सम्बंध में शासनादेश संख्या:18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0दिनांक:07/01/2022के अनुसार निर्णय लिया जाना सत्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है।2-All the Escape routs must be kept cleared all the time and Electrical Safety Audit of premises is Mandatory. 3-Incase of any deviation found at the Site , the Issued Certificate will be Automatically Cancelled.4- इस भवन का विद्युत विभाग से विद्युत ऑडिट कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र 07 दिवस के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। 5- उपरोक्त स्थापित अग्निशमन व्यवस्था यदि किसी भी समय कम या अकार्यशील पाई जाती है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIJAYPRAKAS TRIPATHI

8B8F826EEEDF270C6588C79A5CCD89B53F0F3A01

17-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-07-2025

स्थान : FATEHGARH

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.